<u>नोटिस</u>

(Re-engagement Policy के अन्तर्गत सत्र 2018–19 में आवेदन हेतु आवश्यक सूचना)

यादी क्रमांक 1/1–2018 ए0सी0डी0 (8) दिनांक 16.04.2018

विभाग के पत्र क्रमांक 1/4–2017 ए0सी0डी0 (3) दिनांक 06.04.2018 के अनुसार स्कूल प्राचार्य/प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि सामयिक आवश्यकतानुसार ERTS पोर्टल के बन्द होने के बाद सभी रिटायरी को कार्यभार मुक्त कर दिया जाए। अतः पुनः यह निर्देश दिए जाते हैं कि दिनांक 01.04.2018 और पोर्टल के अपडेट होने के मध्य यदि किसी रिटायरी ने Online अथवा Manually कार्यभार संभाला है तो उनका यह कार्यकाल रद्द माना जाए एवं इस कार्यकाल के दौरान उन्हें कोई मानदेय न दिया जाए।

इसके अतिरिक्त ERTS पोर्टल में सत्र 2018–19 के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन फार्म भरे जाने के दौरान ज्ञात रहे कि उचित Merit List के अनुसार ही रिटायर्ड शिक्षकों को पुनः Join करवाया जाए। इसी की अनुपालना में उनके सभी प्रकार के प्रपत्र एवं पिछले सत्र के कार्यकाल के दौरान शैक्षणिक उपलब्धियों का अवलोकन स्कूल प्राचार्य/प्रभारी द्वारा कर लिया जाए। किसी भी प्रकार की कोताही के लिए जाँच किए जाने पर स्कूल प्राचार्य/प्रभारी स्वयं जिम्मेवार होंगें। ERTS पोर्टल पर आवेदन भरे जाने के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेषतः ध्यान रखा जाए :–

1. पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात ही आवेदन पत्र Final Submit किया जाए अन्यथा आवेदक के लिए पोर्टल बंद हो जाएगा।
2. अधिक से अधिक Preference Stations भरे जाएं ताकि भविष्य में न्यूनतम परेशानी का सामना करना पड़े।
3. ऐसे सभी अन्य राज्यों के राजकीय विद्यालयों से सेवानिवृत अध्यापक जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं तथा हिन्दी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, इस सत्र से इस Policy में भाग लेने के पात्र होंगें। Online Merit बनाने के दौरान Software द्वारा उन्हें हरियाणा राजकीय विद्यालयों से सेवानिवृत अध्यापकों की तुलना में 5% कम अंक दिए जाएंगें।
4. इस सत्र के दौरान सेवानिवृत मुख्याध्यापक एवं प्राचार्य भी टी0जी0टी0 और पी0जी0टी0 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला